तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज ओमाराम बंजारा पुत्र श्री मंगलाराम बंजारा वीपीओ–चोटिला, तहसील–रोहट, जिला–पाली (राज.) 306421 बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रोहट प्रथम सूचना अपील संख्या :– 23/2022 जीसीएमएस नं. :– 2022/25 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

–: निर्णय :–

15/3/22 — 1. पत्रावली आज पेश हुई । उभयपक्ष अनुपस्थित।

2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 29.10.2021 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रोहट से चाही गई थी। परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।

3. लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रोहट ने जरिये पत्रांक/सू.का.अ./2022/228 दिनांक 27.01.2022 के इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी विकास अधिकारी, रोहट से संबंधित होने के कारण आरटीआई की धारा 6(3) के तहत उनके कार्यालय के पत्रांक 9331 दिनांक 08.11.2021 के निर्धारित समयावधि में हस्तांतरण करते हुए वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित किया गया है। तथा विकास अधिकारी रोहट, ने प्रत्युत्तर आवेदक को प्रेषित करते हुए प्रतिलिपी उनके पत्रांक 11910 दिनांक 30.11.2021 के कार्यालय हाजा को प्रेषित की है। विकास अधिकारी के अपीलांट को प्रेषित प्रत्युत्तर के अनुसार आवेदन पत्र में वांछित सूचना की विशिष्टियों का अंकन नहीं होने से सूचना उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) रोहट द्वारा अपीलार्थी का आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी विकास अधिकारी रोहट को निर्धारित समयावधि में स्थानान्तरित कर दिया। इस पर विकास अधिकारी ने अपीलार्थी को आवेदन पत्र में वांछित सूचना के संदर्भ में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के नियम 6,1 (ख) व 7 (9) के अनुसार विशिष्टियों का अंकन आवश्यक है विशिष्टियों के अभाव में सूचना दिया जाना संभव नहीं है इस आशय का प्रत्युत्तर प्रेषित किया। लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी रोहट द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना/जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि वांछित सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गई है। तथा वह रेस्पोडेंट के जवाब से संतुष्ट है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

6. निर्णय आज दिनांक 15/03/2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफतर हो।

नमित मेहता
प्रथम अपीलीय अधिकारी
लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली